संख्या-002/वी.जी.एल/61
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दिनांक : 19.05.2010

कार्यालय आदेश सं0 20/05/10

विषय: शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए समय सीमा का पालन ।

संदर्भ: (i) आयोग का दिनांक 01.04.2004 का कार्यालय आदेश सं0 16/03/04
(ii) आयोग का दिनांक 27.02.2009 का कार्यालय आदेश सं0 4/2/09
(iii) आयोग का दिनांक 12.05.2009 का कार्यालय आदेश सं0 9/5/09

सतर्कता मैनुअल भाग-1 (छठा संस्करण - 2004) के अध्याय IV के पैरा 4.13.1 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार, अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर, संगठनों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है । लोकहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण शिकायतों के मामले में, आयोग ने अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक माह की अवधि निर्धारित की है ।

2. आयोग ने देखा है कि संगठन/विभाग निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तथा अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अनुचित विलंब होता है । रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल देते समय, यदि उल्लिखित अवधि के भीतर अन्वेषण समाप्त करना संभव नहीं है तो, संबंधित संगठन/विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी स्वंय मामले को देखें तथा प्रत्येक मामले में अन्वेषण की प्रगति तथा विलंब के कारणों को सूचित करते हुए, समय सीमा का विस्तार मांगने के लिए आयोग को एक अंतरिम उत्तर/रिपोर्ट आवश्यक रूप से भेजें ।

3. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सेवा में
सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी